न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर
अजमेर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	–	**124/2016**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**384/2016**
अभियोग संख्या	–	**21/2015–16**
सीएनआर नंबर	–	**RJAJ220001762016**
आरक्षी केन्द्र	–	**आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. मोहबत, उम्र 40 साल, निवासी शिव कॉलोनी सांसी बस्ती, पीसांगन, जिला अजमेर।

.....अभियुक्ता

अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री अर्जुनसिंह राठौड, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	10.09.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	10.09.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	21.06.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	21.06.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	13.09.2017
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	13.03.2026
निर्णय की तिथि	16.03.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

authentication document

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	कौशल्या	18.05.2016	18.05.2016	16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	प्रेमसिंह	मौका का गवाह
पीडब्ल्यू–2	जयकृतसिंह	अभियोग दर्ज कर्ता, अनुसंधानकर्ता
पीडब्ल्यू–3	मालाराम	मालखाना इंचार्ज
पीडब्ल्यू–4	ओंकारसिंह	सैम्पल वाहक
पीडब्ल्यू–5	अरविन्द कुमार	मौका का गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	फर्द जब्ती	प्रदर्श पी–1

authentication document

2	नक्शा मौका बरामदगी स्थल	प्रदर्श पी–2
3	मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–3
4	प्रथम सूचना प्रतिवेदन	प्रदर्श पी–4
5	अग्रेषण पत्र	प्रदर्श पी–5
6	विधि विज्ञान प्रयोगशाला का परीक्षण प्रतिवेदन	प्रदर्श पी–6
7	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–7–ए
8	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–8
9	सजायाबी रिकॉर्ड	प्रदर्श पी–9

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
–	–	–

निर्णय **दिनांकः– 16.03.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण की ओर से दिनांक 21.06.2016 को अभियुक्ता कौशल्या के विरुद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 27 दिनांक 01.05.2025 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी जयकृतसिंह राठौड, आबकारी निरीक्षक, अजमेर शहर दक्षिण, अतिरिक्त प्रभार प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण ने दिनांक 10.09.2015 को एक फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–1 आबकारी निरोधल दल थाना अजमेर ग्रामीण में इस आशय की पेश की कि दिनांक 10.09.2015 को वह बहमराह प्रेमसिंह सिपाही व अन्य ईपीएफ जाप्ता अजमेर ग्रामीण के दौराने रेड गश्त सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से एक औरत अपने हाथ मे एक भारी सा प्लास्टिक जरीकन था, जिसकी नजर उनकी गाडी व फोर्स पर पड़ते ही वह प्लास्टिक जरीकन को वहीं आम रास्ते में ही छोडकर बस्ती की तरफ भागने लगी, जिसको हमराहे जाप्ते में से अरविन्द कुमार सिपाही ने अभियुक्ता कौशल्या के रूप में पहचाना, तब आवाजें लगाई, कौशल्या रूक जा, रूक जा व पीछा भी किया, मगर वह नहीं रूकी व बस्ती में रूहपोश हो गई। काफी खोजबीन की मगर, नहीं मिली, बाद वापस कौशल्या द्वारा छोडी गई प्लास्टिक जरीकेन के पास आकर स्वतंत्र गवाह लेना चाहा, मगर कोर्ट कचहरी के डर से कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, तब हमराह जाप्ते में से प्रेमसिंह व अरविंद को स्वतंत्र गवाह मामूर कर जामा तलाशी का आदान–प्रदान कर अभियुक्ता द्वारा छोडे गए

authentication document

प्लास्टिक जरीकन को लेकर उसका ढ़क्कन खोलकर देखा, सुंघा एवं हाजिरान व मौतबिरान को भी दिखाया, सुंघाया तो सभी ने एकराय होकर बताया कि इस प्लास्टिक जरीकन मे करीबन 04 बोतल नाजायज हथकड़ शराब भरी हुई है। कांच का एक साफ पव्वा लेकर बरामद शराब प्लास्टिक जरीकन से वास्ते नमूना सैंपल भरा व शेष शराब को उसी प्लास्टिक जरीकन में ही रहने देकर वजह सबूत प्लास्टिक जरीकन व नमूना सैंपल कांच के पव्वे को मौतबिरान के दस्तखती चिठो से सीलचीट चस्पा किया। फर्द जब्ती हस्ब कायदा मुर्तिब कर हाजिरान व मौतबिरान को पढाई सुनाई व समझायी मौतबिरान के पढ़ पुन समझ सही मानने पर फर्द पर दस्तखत कराए। नमूना सील फर्द पर अंकित की फर्द की नमूना सैंपल जरिये फर्द कब्जे राज लिया ....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण द्वारा अभियोग सं. 21/2015–16 अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– दिनांक 21.06.2016 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्ता को अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्ता द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

06– तत्पश्चात् अभियुक्ता का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्ता ने कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्ता के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्ता से दिनांक 10.09.2015 को किसी समय वाके आम रास्ता सांसी बस्ती, पीसांगन से गुजरते वक्त एक प्लास्टिक जरीकन में 04 बोतल नाजायज हथकड़ शराब बरामद हुई, जिनको स्वयं के चैतन्य एवं कब्जे में रखने का उसके पास कोई लाइसेंस/परमिट नहीं था ? यदि हाँ तो अभियुक्ता किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः

authentication document

अभियुक्ता को दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता श्री अर्जुन सिंह राठौड़ ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्ता की लिप्तता को प्रकट करें। अंत में, अभियुक्ता को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु कुल 05 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

साक्षीगण **पीडब्ल्यू 01 प्रेमसिंह** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2015 को थाना आबकारी अजमेर ग्रामीण में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस रोज रेड गश्त में जयकृत सिंह, दुलाराम व वह भी शामिल था। वे रेड गश्त करते हुए सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे तो सामने से एक औरत आ रही थी, जिसके हाथ में भारी सा एक प्लास्टिक का जरिकेन था जो गाड़ी फोर्स को देखकर जरिकेन को रास्ते में पटक कर बस्ती की तरफ भाग गई, जिस पर हमराह जाब्ते में से वह व अरविन्द कुमार सिपाही ने उसकी पहचान की जो कौशल्या पत्नी स्वर्गीय मौहब्बत निवासी शिव कॉलोनी सांसी बस्ती पीसांगन के रूप में पहचाना और उसको आवाज लगायी कि कौशल्या रूक जा, लेकिन वह नहीं रुकी और बस्ती में रूहुपोश हो गई। काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिलने पर वापिस कौशल्या द्वारा छोड़े गये प्लास्टिक के जरिकेन के पास आकर स्वतंत्र गवाह लेने गये, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुए, जिस पर उसे व अरविन्द कुमार को गवाह मामूर कर तलाशी का आदान–प्रदान कौशल्या द्वारा पटके गये प्लास्टिक के जरिकेन का ढक्कन खोल कर देखा व सूंघा तथा अन्य जब्ते को भी सुंघाया तो सभी ने जरिकेन में चार बोतल हथकड़ नाजायज शराब होना जाहिर किया, जिस पर कांच का एक खाली–सा पव्वा लेकर रासायनिक जांच वास्ते जरिकेन में से नमूना सैम्पल निकाला तथा मोतबिरान की दस्तखती चिटों से नमूना सैम्पल व बाकी बचे जरिकेन को सील चिट किया तथा मौके पर ही प्लास्टिक के जरिकेन में भरी हुई हथकड़ शराब के जरिकेन को जरिये फर्द उसके व अरविन्द कुमार मोतबिरान के समक्ष जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती बरामदगी प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर ही जयकृत सिंह जी द्वारा उसके व अरविन्द कुमार के समक्ष बरामदगी स्थान का नक्शा मौका कसीद किया गया जो प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही कर वापिस थाने आकर प्रकरण दर्ज कराया। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना गलत है कि आरोपिया की उसने शक्ल नहीं देखी हो। उसने आवाज लगाई तो उसने पीछे मुडकर देखा, जिस आरोपिया का नाम उसने कौशल्या लेकर पुकारा, उसका नाम वह नहीं जानता था, उसका नाम कौशल्या है। यह बात सही है कि जो माल हम आरोपिया से जब्त करना बता रहे है, वह माल बरवक्त जब्ती के समय आरोपिया के हाथ में ही था। यह बात सही है कि जिस वक्त प्रदर्श पी–1 बनायी, उस पर किसी भी स्वतंत्र

authentication document

गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–2 नक्शा मौका बनाया, उस समय स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये। प्रदर्श पी–2 में एक्स स्थान दर्शाया गया है, प्रदर्श पी–2 बनाते मय वहां पर मुलजिमा नहीं थी। यह कहना गलत है कि अनुसंधान अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होने से आज वह झूठे बयान दे रहा है।

पीडब्ल्यू 02 जयकृतसिंह ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2015 को वृत निरीक्षक अजमेर तथा प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर ग्रामीण के पद पर तैनात था। उस रोज वह तथा उसके साथ दूलाराम जमादार, मनोहर सिंह, औंकार सिंह, प्रेम सिंह, अरविंद, मदनलाल, धूलाराम मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते रेडगश्त हेतु अजमेर से रवाना होकर रेडगश्त करते हुए सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी वहां सामने से एक औरत हाथ में एक भारी सा प्लास्टिक का जरीकेन लेते हुए नजर आई, जिसकी नजर उनकी गाड़ी फोर्स पर पड़ी तो प्लास्टिक के जरीकेन को वहीं छोड़कर बस्ती की तरफ भागने लगी, जिसको जाब्ते में से अरविंद कुमार सिपाही ने तथा उसने पहचाना कि वह कौशल्या पत्नी स्व. मोहब्बत, जाति सांसी, निवासी शिव कॉलोनी, सांसी बस्ती, पीसांगन है, क्योंकि कौशल्या के पहले भी आबकारी के प्रकरण दर्ज थे, जिस पर अरविंद सिपाही ने आवाज लगाई कि कौशल्या रूक जा, कौशल्या रूक जा तथा उसका पीछा किया, मगर वह नहीं रूकी वह बस्ती में रूहपोश हो गई, जिस पर कौशल्या द्वारा पटके गए प्लास्टिक के जरीकेन के पास आए तथा उसने आसपास के लोगों से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति सजातीय बस्ती होने तथा कोर्ट कचहरी के डर से गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर उसने जाब्ते में से प्रेम सिंह व अरविंद कुमार सिपाही को गवाह मामूर कर तलाशी का आदान प्रदान कर कौशल्या द्वारा छोड़े गए प्लास्टिक के जरीकेन को कब्जे में लेकर उसका ढक्कन खोलकर देखा, सूंघा तथा मौतबीरान तथा जाब्ते के अन्य लोगों को भी दिखाया, सुंघाया तो सबने एकराय होकर उस प्लास्टिक के जरीकेन में चार बोतल हथकड़ नाजायज शराब भरा होना पाया, जिस पर उसने एक कांच का साफ पव्वा लेकर, प्लास्टिक के जरीकेन से वास्ते नमूना सैंपल हेतु अलग से भरा तथा मौतबीरान की दस्तखती चिटों से सीलचिट किया तथा शेष बची शराब से उसी प्लास्टिक के जरीकेन में रहते हुए प्लास्टिक के जरीकेन को बतौर वजहसबूत जब्त कर मौतबीरान की दस्तखती चिटों से सील चिट चस्पा किया। मौके पर ही उसने समय 02.00 पी.एम. पर गवाह प्रेम सिंह व अरविंद कुमार के सामने फर्द जब्ती मुर्तिब की, जो प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं एवं एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके पर समय 03.00 पी.एम. पर फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल मौतबीरान के समक्ष बनाया, जो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर भी ए से बी, सी से डी गवाहान के एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर रवानगी बाबत मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी रवानगी का इंद्राज तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल, मय फर्दात, मय जाब्ते के वापसी थाने पर आये, जिस पर उसके द्वारा आबकारी अधिनियम 16/54 में प्रकरण संख्या 21/15–16 दर्ज कराया, जिसकी प्रथम सूचना इतला प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाहान प्रेम सिंह,

authentication document

अरविन्द कुमार, मालाराम, ओंकार सिंह के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। प्रकरण में जब्तशुदा नमूना सैम्पल एक पव्वा हथकड़ी शराब सील चिट चस्पाशुदा हालत में ओंकार सिंह सिपाही के साथ रासायनिक प्रयोगशाला, अजमेर में मय अग्रेषण पत्र क्रमांक 273 के साथ भेजा, जिसने नमूना सैम्पल प्रयोगशाला में जमा कराकर नमूना सैम्पल के निचले हिस्से पर ही नमूना सैम्पल प्राप्त करने का इंद्राज कर सील हस्ताक्षरशुदा हालत में वापस लाकर दिया। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी ओंकार सिंह के साथ नमूना भेजने का इंद्राज, सी से डी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। ई से एफ नमूना प्राप्ति का इंद्राज, जी से एच सहायक रासायनिक परीक्षक के हस्ताक्षर है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला का परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 है, जो उसे आबकारी प्रयोगशाला से क्रमांक 661 सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुई थी, जिसमें ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7ए है, उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया। मुलजिमा कौशल्या के विरूद्ध धारा 16/54 में अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिमा को दिनांक 18.05.2016 को जरिये फर्द रूबरू गवाहान के समक्ष गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–8 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिमा कौशल्या की अंगूठा निशानी है। उक्त प्रकरण की मुलजिमा कौशल्या पत्नी स्व. मौहब्बत के विरूद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन थे, जिसकी सजायाबी रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 है, जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। मुलजिमा कौशल्या पत्नी मौहब्बत, निवासी– शिव कॉलोनी, सांसी बस्ती, पीसांगन के विरुद्ध 16/54 आबकारी अधिनियम में उसके अनुसंधान से अपराध प्रमाणित पाया। तत्पश्चात् उसका स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण प्रहराधिकारी मनरूपाराम ने उसके अनुसंधान से सहमत होकर उक्त मुलजिमा के विरूद्ध चालान पेश किया। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मनरूपाराम के हस्ताक्षर हैं, जिनके साथ काम करने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह बात सही है कि प्रदर्श पी–4 एफ आई आर 21/15–16 में सी से डी इबारत में अंकित है कि मुलजिमान मौके पर नहीं थी, मौके से फरार हो चुकी थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 4 जब काटी तब मौके से मुलजिमा भाग चुकी थी, उसका नाम मौके पर हमने नहीं पूछा कि वो मुलजिमा कौन थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–1 बनाते समय मुलजिमा मौके पर मौजूद नहीं थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–1 फर्द जब्ती शराब बनाते समय मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, न ही उसके हस्ताक्षर है। यह बात सही है कि जिस जगह प्रदर्श पी–1 फर्द जब्ती बनाई, वह स्थान भीडभाड वाला इलाका है और वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनके किसी के भी हस्ताक्षर नही कराये। प्रदर्श पी–2 नक्शा गौका पर भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये। प्रदर्श पी–2 में दर्शाया गया एक्स स्थान, वो आम सडक है। वहां पर काफी लोग आ–जा रहे थे। उनके किसी के भी हस्ताक्षर प्रदर्श पी–2 पर नहीं कराये। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–2 नक्शा मौका जिस समय बनाया गया, उस समय मुलजिमा मौके पर मौजूद नहीं थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–3 फर्द गिरफतारी, घटना के 8 महीने बाद की है। प्रदर्श पी–8 गिरफतारी

authentication document

की सूचना किसको दी, आज वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसने सभी गवाहान के बयान थाने पर बैठकर ही अपनी मनमर्जी से लेखबद्ध किये हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–5 में क्या चीज बतौर नमूना सैम्पल ओंकारसिंह सिपाही के साथ गेजी, उसका इंद्राज नहीं हो। प्रदर्श पी–5 में एक खाली पन्ना हम साथ लेकर गये थे। प्रदर्श पी 5 खाली पन्ना था, जिसमें शराब नहीं थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–5 पर ओंकारसिंह सिपाही के हस्ताक्षर, बतौर नमूना सैम्पल प्राप्त किया हो, उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–6 नमूना सैम्पल एफ एस एल रिपोर्ट उसे प्राप्त नहीं हुई हो। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–6, दिनांक 30.09.15 को प्राप्त हुई। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–6 एफ एस एल रिपोर्ट जब प्राप्त हुई उस समय मुलजिमा को हमने गिरफतार नहीं किया था न ही हमारे कब्जे में थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–7ए असल आज न्यायालय में पेश नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–3 असल आज न्यायालय में पेश नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–9 असल आज न्यायालय में पेश नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–9 असल से मिलान बाबत कोई हस्ताक्षर प्रमाणित करने बाबत नहीं है और न ही उसके हस्ताक्षर प्रदर्श पी–9 पर है। यह बात सही है कि आज न्यायालय में माल उपस्थित है। यह बात सही है कि आज माल पर कोई आर्टिकल नहीं डाला गया। यह बात सही है कि मुलजिमा मौके पर मौजूद नहीं थी इसलिए उसके कब्जे से कोई भी जरीकेन जब्त नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि मुलजिमा को झूठे मुकदमें में फंसाया हो। यह कहना गलत है कि मौके से कोई भी माल जब्त नहीं हुआ हो। यह कहना गलत है कि उसने मौके की कार्यवाही नहीं की हो और थाने पर बैठकर फर्द तैयार की हो।

पीडब्ल्यू 03 मालाराम ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 10.09.2015 को वह उपरोक्त पद पर तैनात था। उस दिन उसके पास मालखाना का चार्ज था। उस दिन उसे प्लास्टिक के जरीकेन में चार बोतल हथकड़ शराब व एक कांच का पव्वा नमूना सैम्पल सीलशुदा हालत में उसे प्रहराधिकारी जयकृत सिंह ने उसे दिये, जो उसने मालखाना रजिस्टर में दर्ज कर जमा मालखाना किया, जो मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 21 पर दर्ज है। दिनांक 28.09.2015 को तहरीर संख्या 273 सैम्पल वाहक सिपाही ओंकार सिंह को दिये। ओंकार सिंह ने रसायन प्रयोगशाला में जमा कराकर रसीद उसे दी, जो प्रदर्श पी–5 है, जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील है, ए से बी ओंकार सिंह के नाम जारी तहरीर का नोट अंकित है व सी से डी प्रहराधिकारी के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7ए है, जिस पर ए से बी जब्तशुदा माल का नोट अंकित है व सी से डी प्रहराधिकारी के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्ता को उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा किए जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गए किंतु उक्त गवाह से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

पीडब्ल्यू 04 ओंकारसिंह ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 10.09.2015 को पुलिस थाना आबकारी ग्रामीण अजमेर में सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज रेड गश्त में वह प्रेम सिंह, अरविंद कुमार और दुलाराम जमादार, मनोहर सिंह सिपाही, धुलाराम, मदनलाल, प्रहराधिकारी जयकृत सिंह के साथ शामिल थे, जब वे रेड गश्त करते हुए सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे तो सामने से एक औरत जिसके हाथ में

authentication document

एक भारी सा प्लास्टिक का जरीकेन था, लेकर आती हुई नजर आयी, जिसकी नजर गाड़ी फोर्स पर पड़ी तो प्लास्टिक के जरीकेन को वहीं रास्ते में पटक कर पीछे मुड़कर देखते हुए भागने लगी जिसको उनके जाब्ते में सम्मिलित प्रेम सिंह और अरविंद कुमार सिपाही ने पहचाना और बताया कि यह कौशल्या पत्नी स्व. मोहब्बत निवासी शिव कॉलोनी, सांसी बस्ती पीसांगन है और उसको आवाज भी लगायी कि कौशल्या रूक जा, लेकिन वह नहीं रूकी और बस्ती में रूहपोश हो गयी। काफी खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिलने पर जहां प्रहराधिकारी जयकृत सिंह खड़े थे, जहां कौशल्या द्वारा पटका हुआ जरीकेन था वहां वापिस आये, जहां जयकृत सिंह द्वारा स्वतंत्र गवाह लेना चाहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं होने पर जाब्ते में सम्मिलित प्रेम सिंह व अरविंद कुमार को गवाह मामूर कर तलाशी का आदान प्रदान कर कौशल्या द्वारा पटके गये प्लास्टिक के जरीकेन को कब्जे में लेकर उसका ढक्कन खोलकर देखा व सूंघा, उन्हें भी दिखाया सूंघाया तो सब ने उस प्लास्टिक के जरीकेन में अनुभव के आधार पर 4 बोतल नाजायज हथकड़ शराब भरा होना पाया, जिस पर प्रहराधिकारी जयकृत सिंह ने अनुसंधान बॉक्स से एक साफ कांच का पव्वा लेकर वास्ते एफएसएल हेतु नमूना सैम्पल के तौर पर जरीकन से भरा और गवाहान की दस्तखती चिटों से सील्ड मोहर किया, जरीकेन को भी शेष शराब बची उसी में रहा दिया जाकर सील्ड मोहर किया। मौके पर ही फर्द जब्ती व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया और मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल, मय फर्दात वापसी थाने पर आकर प्रहराधिकरी ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर प्रकरण हाजा का माल सील बंद अवस्था में जमा मालखाना करवाया। तत्पश्चात दिनांक 28.09.2015 को प्रहराधिकारी द्वारा एक तहरीरी संख्या 273 दिनांक 28.09.2015 देकर निर्देशित किया कि अभियोग सरकार बनाम कौशल्या का नमूना सैम्पल सीलबंद अवस्था में मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर आबकारी प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाना है, जिस पर उसके द्वारा उक्त निर्देशानुसार प्रकरण हाजा का नमूना सैम्पल मालखाना इंचार्ज से सीलबंद अवस्था में प्राप्त कर मय तहरीरी के उक्त सैम्पल लेकर आबकारी प्रयोगशाला अजमेर गया, जहां नमूना सैम्पल सीलबंद अवस्था में आबकारी प्रयोगशाला में जमा करवाकर जमा का इंद्राज तहरीरी पर करवाकर वापसी आकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। तहरीरी प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ए से बी सैम्पल वाहक को नमूना प्रेषित करने का इंद्राज व सी से डी प्रहराधिकारी के हस्ताक्षर तथा ई से एफ माल प्रयोगशाला में जमा कराने का इंद्राज तथा जी से एच प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। उनकी रवानगी व आमद बाबत मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि मेरे सामने किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुयी थी। उसके किसी भी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–5 पर उसे तहरीरी दी गयी हो, इस बाबत उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि सैम्पल सीलबंद अवस्था में था इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसमें क्या था। तहरीरी प्रदर्श पी–5 देना उसने बताया है, वह उसी दिन प्रयोगशाला चला गया था। यह कहना सही है कि वह उस दिन प्रयोगशाला पहुंच गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

पीडब्ल्यू 05 अरविन्द कुमार ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक

10.09.2015 को आबकारी थाना अजमेर ग्रामीण में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 10.00 ए.एम. पर थाना हाजा से रवाना होकर जयकृत सिंह राठौड़ आबकारी निरीक्षक अजमेर शहर दक्षिण, अतिरिक्त प्रभार आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण सिपाही प्रेमचंद, मय जाब्ता वाहन के थाना हाजा से रवाना होकर सांसी बस्ती पीसांगन पहुंचे, जहां आम रास्ते से गुजर रहे थे कि एक औरत आती हुई नजर आई, जिसके हाथ में एक भारी सा प्लास्टिक जरीकेन था जो उनकी गाड़ी को देखकर, घबराकर में प्लास्टिक जरीकेन वहीं रास्ते में पटक कर भागने लगी। भागने वाली औरत को उसने कौशल्या के रूप में पहचाना और उसे रूकने की आवाजें लगाई, मगर वो नहीं रूकी और समीप पीसांगन सांसी बस्ती में कहीं रूहपोश हो गई, भरे हुए जरीकेन के पास जाकर देखा तो उसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ था, जिस पर स्वतंत्र गवाह लेने का आग्रह किया तो कोर्ट कचहरी के डर से कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर जाब्ते में से उसे और सिपाही प्रेम सिंह सिपाही को गवाह मामूर कर आपस में तलाशी आदान–प्रदान कर जरीकेन का ढक्कन खोलकर और सूंघकर देखा और आसपास गवाहान को भी सूंघाया तो सबने एकराय होकर शराब होना बताया। उस जरीकेन में कुल 4 बोतल अवैध शराब भरी हुई थी, तब एक साफ पव्वे में वास्ते नमूना सैम्पल प्लास्टिक जरीकेन में से शराब निकालकर भरी एवं शेष जरीकेन को सील चिट चस्पा कर कार्यवाही पूर्ण की। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–01 है जिस पर सी से डी हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नकल मूवमेंट रजिस्टर प्रदर्श पी–03 है जिस पर जे से एच स्थान पर उसका नाम अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि जो माल हमने कार्यवाही के दौरान आरोपिया से जब्त किया था, वह माल वरवक्त जब्ती आरोपिया के हाथ में नहीं था। यह कहना सही है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है।

12– इस प्रकार अभियुक्ता पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी जयकृत सिंह वृत्त निरीक्षक अजमेर तथा प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर मय जाप्ता द्वारा एक फर्द जब्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी–1 इस आशय की पेश करने पर हुआ कि दिनांक 10.09.2015 को वह बहमराह प्रेमसिंह सिपाही व अन्य ईपीएफ जाप्ता अजमेर ग्रामीण के दौराने रेड गश्त सांसी बस्ती पीसांगन के आम रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से एक औरत अपने हाथ मे एक भारी सा प्लास्टिक जरीकन था, जिसकी नजर उनकी गाडी व फोर्स पर पड़ते ही वह प्लास्टिक जरीकन को वहीं आम रास्ते में ही छोडकर बस्ती की तरफ भागने लगी, जिसको हमराहे जाप्ते में से अरविन्द कुमार सिपाही ने अभियुक्ता कौशल्या के रूप में पहचाना, तब आवाजें लगाई, कौशल्या रूक जा, रूक जा व पीछा भी किया, मगर वह नहीं रूकी व बस्ती में रूहपोश हो गई। काफी खोजबीन की मगर, नहीं मिली, बाद वापस कौशल्या द्वारा छोडी गई प्लास्टिक जरीकेन के पास आकर स्वतंत्र गवाह लेना चाहा, मगर कोर्ट कचहरी के डर से कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, तब हमराह जाप्ते में से प्रेमसिंह व अरविंद को स्वतंत्र गवाह मामूर कर जामा तलाशी का आदान–प्रदान कर अभियुक्ता द्वारा छोडे गए

authentication document

प्लास्टिक जरीकन को लेकर उसका ढ़क्कन खोलकर देखा, सुंघा एवं हाजिरान व मौतबिरान को भी दिखाया, सुंघाया तो सभी ने एकराय होकर बताया कि इस प्लास्टिक जरीकन मे करीबन 04 बोतल नाजायज हथकड़ शराब भरी हुई है, जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाहान जयकृत प्रहराधिकारी सहित सिपाही प्रेमसिंह, ओंकारसिंह व अरविन्द कुमार जाप्ते में शामिल पुलिसकर्मी हैं, जो कि न्यायालय के समक्ष क्रमशः पीडब्ल्यू 02, पीडब्लयू–01, पीडब्ल्यू 04 व पीडब्ल्यू 05 के रूप में परीक्षित हुए, जिनमें से गवाह जयकृतसिंह पीडब्ल्यू 02 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी एवं मुख्य रूप से कथन किया कि 10.09.2015 को वह, दुलाराम जमादार, मनोहरसिंह, ओंकारसिंह, प्रेमसिंह, अरविन्द, मदनलाल, धूलाराम के साथ गश्त करते हुए सांसी बस्ती, पीसांगन से गुजर रहे थे, जहां सामने से एक औरत भारी सा प्लास्टिक जरीकेन अपने हाथ में लेकर आती हुई नजर आई, जिसकी नजर फोर्स की गाड़ी पर पड़ते ही वह जरीकेन को वहीं पटककर बस्ती की गलियों की ओर भागने लगी, जिसको अरविन्द सिपाही ने कौशल्या के रूप में पहचाना और आवाज भी लगाई, लेकिन वो नहीं रूकी और बस्ती की गलियों में रूहपोश हो गई। उसके द्वारा पटके गए जरीकेन को ढ़क्कन खोलकर देखा व सूंघा तो उसमें हथकड़ शराब की तेज गंध आ रही थी, जिसमें करीब 04 बोतल नाजायज हथकड़ शराब भरी हुई थी। उक्त गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–2, मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–5, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7–ए, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–8 व सजायाबी रिकॉर्ड प्रदर्श पी–9 प्रदर्शित करवाए तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया कि उसने सभी गवाहान के बयान थाने पर बैठकर अपनी मनमर्जी से लेखबद्ध किये हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–5 में क्या चीज बतौर नमूना सेंपल ओंकारसिंह सिपाही के साथ भेजी, उसका इन्द्राज नहीं हो। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा आगे और विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने कथनों के संदर्भ में अखंडित रहा। न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गवाह ने जिन फर्दात पर प्रदर्श अंकित किया, वे समस्त फर्दात भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वीकार की गई, ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के बयानों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष विद्यमान नहीं है।

13– आगे गवाह पीडब्ल्यू 01 प्रेमसिंह, पीडब्ल्यू–4 ओंकारसिंह व पीडब्ल्यू 05 अरविन्द कुमार ने भी गवाह पीडब्ल्यू 02 जयकृतसिंह के बयानों की ताईदी में ही साक्ष्य दी एवं गवाह पीडब्लयू–01 प्रेमसिंह ने अपने कथनों के समर्थन में कुल 02 दस्तावेजात फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–1 व घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 एवं गवाह पीडब्ल्यू–4 ओंकारसिंह ने अपने कथनों के समर्थन में कुल 02 दस्तावेजात मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3 व तहरीरी प्रदर्श पी–5 एवं गवाह पीडब्ल्यू–05 अरविन्द कुमार ने अपने कथनों के समर्थन में कुल 03 दस्तावेजात फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–1, घटनास्थल

authentication document

का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 व मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3 प्रदर्शित करवाई। उल्लेखनीय रहें कि उक्त गवाहान से भी अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षीगण अपने कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 03 मालाराम, जो कि मालखाना का गवाह भी है, उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उस रोज जयकृतसिंह ने इस मुकदमें में नमूना सैंपल 01 पव्वा सील्डशुदा व एक प्लास्टिक जरीकेन सील्डशुदा जिसमें करीबन 04 बोतल नाजायाज हथकड़ शराब भरी हुई, जिसको मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। दिनांक 28.09.2015 को तहरीर संख्या 273 के आधार पर नमूना सैंपल आबकारी प्रयोगशाला, अजमेर में जमा कराने हेतु ओंकारसिंह सिपाही को दिया, जिसने रसायन प्रयोगशाला में जमा कराकर रसीद उसे दी, जो प्रदर्श पी–5 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7ए है, जिस पर ए से बी जब्तशुदा माल का नोट अंकित है। इसी कड़ी में गवाह पीडब्ल्यू 04 ओंकारसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 28.09.2015 को प्रहराधिकारी द्वारा एक तहरीरी संख्या 273 दिनांक 28.09.2015 देकर निर्देशित किया कि अभियोग सरकार बनाम कौशल्या का नमूना सैम्पल सीलबंद अवस्था में मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर आबकारी प्रयोगशाला अजमेर में जमा करवाना है, जिस पर उसके द्वारा उक्त निर्देशानुसार प्रकरण हाजा का नमूना सैम्पल मालखाना इंचार्ज से सीलबंद अवस्था में प्राप्त कर मय तहरीरी के उक्त सैम्पल लेकर आबकारी प्रयोगशाला अजमेर गया, जहां नमूना सैम्पल सीलबंद अवस्था में आबकारी प्रयोगशाला में जमा करवाकर जमा का इंद्राज तहरीरी पर करवाकर वापसी आकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। उक्त गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल द्वारा जारी तहरीर प्रदर्श पी–5 व मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–3 प्रदर्शित करवाई। उक्त गवाहान से भी अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षी अपने कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे एवं उक्त गवाहान द्वारा जिन फर्दात पर प्रदर्श अंकित किया, उन फर्दात को भी अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त फर्दात्त को स्वीकार किये जाने से भी उक्त साक्षीगण के कथन अखंडित माने गए।

14– प्रकरण में अभियुक्ता के चैतन्य आधिपत्य से जो शराब बरामद हुई है, उसकी पुष्टि फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी–1 से होती है। साथ ही घटनास्थल की पुष्टि नक्शा–मौका प्रदर्श पी–2 से होती है एवं प्रकरण में जब्तशुदा द्रव्य एल्कोहल था, इस तथ्य की पुष्टि परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–6 से होती है। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने जिन गवाहान को परीक्षित करवाया है, वे समस्त पुलिसकर्मी है, परंतु इस न्यायालय के विनम्र मत में गवाह पुलिसकर्मी होने मात्र से कार्यवाही संदेहास्पद नहीं हो जाती एवं पुलिसकर्मी भी सक्षम साक्षी होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह पेश हुआ है, उसकी साक्ष्य कमोबेश अंखडित रही है, जिस पर अविश्वास करने का न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक कारण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्ता के चैतन्य आधिपत्य से प्रकरण में जप्तशुदा शराब बरामद की गई, जिसे अपने पास रखने के लिए कोई वैध अनुज्ञा–पत्र अभियुक्ता के पास नहीं था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई अभियोजन

authentication document

कहानी को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

15– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्ता से दिनांक 10.09.2015 को किसी समय वाके आम रास्ता सांसी बस्ती, पीसांगन से गुजरते वक्त एक प्लास्टिक जरीकन में 04 बोतल नाजायज हथकड़ शराब बरामद हुई, जिनको स्वयं के चैतन्य एवं कब्जे में रखने का उसके पास कोई लाइसेंस/परमिट नहीं था। परिणामस्वरूप अभियुक्ता श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. मोहबत, उम्र 40 साल, निवासी शिव कॉलोनी सांसी बस्ती, पीसांगन, जिला अजमेर उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

16– परिणामतः अभियुक्ता श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. मोहबत, उम्र 40 साल, निवासी शिव कॉलोनी सांसी बस्ती, पीसांगन, जिला अजमेर को अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(डॉ . विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

17– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्ता द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्ता की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अभियुक्ता गरीब महिला है। अंत में अभियुक्ता को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

18– विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्ता को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

19– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर अभियुक्ता के विरूद्ध पत्रावली पर प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी–9 अनुसार एक प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होना प्रकट होता है किंतु अभियुक्ता की दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अभियुक्ता को तुरन्त प्रभाव से कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने के बजाय सुधार का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत पाता है तथा अभियुक्ता को दोषसिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का फायदा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

authentication document

दण्डादेश

20– अतः अभियुक्ता श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. मोहबत, उम्र 40 साल, निवासी शिव कॉलोनी सांसी बस्ती, पीसांगन, जिला अजमेर को अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की दोषसिद्धी के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्ता एक वर्ष की अवधि हेतु 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करेगी कि अभियुक्ता उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी, शांति व सदाचार बनाए रखेगी, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित हो जाएगी तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्ता पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों एवं पूर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए 1,600/– रुपये(अक्षरे एक हजार छः सौ रुपये) बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री बाद गुजरने अपील/मियाद नियमानुसार निस्तारण बाबत संबंधित पुलिस थाना को तहरीर जारी की जावें।

21– अभियुक्ता के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ . विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

22– निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ . विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

DHARMENDRA KUMAR RATHORE
steno grade II
authentication document
Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR RATHORE